Kanwal Kumar Balli
B.Sc., L.L.B.

President :
- Association of Wholesale Readymade Garments Dealers (Regd.) Ashok Bazar, Gandhi Nagar, Delhi-110 031

Chairman :
- Maharishi Valmiki College of Education (University of Delhi) Geeta Colony, Delhi-110 031

Member :
- Traders Advisory Committee, Govt. of Delhi

Founder Chairman :
- Delhi Hosiery & Readymade Garments Manufacturers Association Gandhi Nagar, Delhi-110 031

Office :
Marwari Textile
IX/6767, Shyam Gali, Ashok Bazar, Gandhi Nagar. Delhi-110 031
Phone : 22072474, 22077474, 22075464 Fax : 22081474

Residence :
92, Ram Vihar, Vikas Marg Extn., Delhi-110092
Phone : 22376200, 22379374 Mobile : 9810539049

C-5

Sh no 17

Master Plan Review

PS to UDM

Secretary

Ref. No...............

Dated. 11-01-2012

OFFICE OF UDM
Dy. No. 170
Date 16.1.12

श्रीमान् कमलनाथ जी,
मिनिस्टर ऑफ अरबन डेवलपमेन्ट,
105, सी.-विन्ग, निर्माण भवन,
नई-दिल्ली-110011.

विषय :- 1. मास्टर-प्लान 2021 में पुरानी दिल्ली की घनी मार्केटों को पुर्नविकास की योजना परन्तु वर्तमान में ऐसी स्थिति ना बने उसके लिये नगर-निगम की कोई योजना नहीं।
2. दिल्ली-नगर-निगम, एस.टी.एफ. व पुलिस की कार्यवाई सिर्फ कागजों पर।

मान्यवर/माननीया,

दिल्ली मास्टर-प्लान-2021 में पुरानी दिल्ली में बनी घनी आबादी वाली मार्केटों को पुर्नविकास की योजना बनाई गई थी। जिस पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। आये दिन दिल्ली में हादसे हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली नगर निगम अवैध निर्माण पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं है। दिल्ली नगर निगम, एस.टी.एफ. व दिल्ली पुलिस सिर्फ कागजी कार्यवाई करती है। दिल्ली के बिल्डर माफिया की दिल्ली नगर निगम पर पूरा नियंत्रण है। इस दिशा में कारगर कदम उठाने की जरूरत है। जोकि असरदार हो, सिर्फ फाईलों में कार्यवाई करने वालों पर अतिशीघ्र कठोर कार्यवाई की जरूरत है।

गाँधी नगर, दिल्ली-31 मैनरोड पर एक पुराना बनारसीदास अहाता है। जिसमें 20,000 गज तकरीबन जगह है। इसमें छोटे-छोटे घर बने हुए थे। सड़क, शौचालय, पार्क व पार्किंग की जगह छोड़ी गई थी। गाँधी नगर में होलसेल मार्केट बनने से यहाँ के रिहायशी आदमी निकलते गये। 2005 के नोटिफिकेशन में इसके बाहरी इलाके मैनरोड, सुभाषरोड व सरस्वती भण्डार वाली सड़क कमर्शियल हो गई और अन्दर का हिस्सा रिहायशी है।

पिछले 2-3 वर्षों से बिल्डर माफिया सक्रिय हो गये। उन्होंने मालिक के पास जाकर खुली जगह जोकि बुनियादी सुविधाओं के लिये छोड़ी गई थी, उस जमीन को खरीद कर उसपर मार्केट बनानी शुरू कर दी। वहाँ के रिहायशी शिकायतें करते रहे परन्तु दिल्ली-नगर-निगम के अधिकारियों को इसका कोई भी असर नहीं हुआ।

(कृ.पृ.उ.)

AJ (UD)

Dir (DD)

Kanwal Kumar Balli
B.Sc., L.L.B.
President :
- Association of Wholesale Readymade Garments Dealers (Regd.) Ashok Bazar, Gandhi Nagar, Delhi-110 031

Chairman :
- Maharishi Valmiki College of Education (University of Delhi) Geeta Colony, Delhi-110 031

Member :
- Traders Advisory Committee, Govt. of Delhi

Founder Chairman :
- Delhi Hosiery & Readymade Garments Manufacturers Association Gandhi Nagar, Delhi-110 031

Office :
Marwari Textile
IX/6767, Shyam Gali, Ashok Bazar, Gandhi Nagar, Delhi-110 031
Phone : 22072474, 22077474, 22075464 Fax : 22081474
Residence :
92, Ram Vihar, Vikas Marg Extn., Delhi-110092
Phone : 22376200, 22379374 Mobile : 9810539049

(107)

Ref. No.............. *Dated.......................*

60 वर्ष बनाये गये कॉमन शौचालय को भी मालिक द्वारा बेच दिया गया। जिसको, यहाँ के व्यापारी, कर्मचारी व रिहायशी इस्तेमाल करते थे। इसकी शिकायत संस्था द्वारा दिल्ली-नगर-निगम, एस.टी.एफ. व लोकल पुलिस को मिलकर व पत्र लिखकर समय-समय पर जानकारी दी गई। सिर्फ कागजों पर कार्यवाई चल रही है, इस अहाते को पुरानी दिल्ली के कटरों से भी खराब हालात पर पहुँचा दिया गया है। हम पुरानी मार्केटों का पुर्नविकास की बात करते हैं और आगे ऐसा ना हो इसके लिये कोई कार्यवाई करने को तैयार नहीं है।

20,000 गज जगह पर एक नया स्लम बन रहा है। कोई भी अधिकारी कुछ कार्यवाई करने को तैयार नहीं है। हमारे पास न्यायालय जाने के सिवाये कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। मास्टर-प्लान-2021 का उदेश्य पूरा अधिकारियों के सहयोग से ही हो सकता है। जो दिल्ली में वर्तमान में सम्भव नहीं लगता, दिल्ली में अवैध निर्माण रूकवाने के लिये न्यायालय जाना पड़ता है। उससे नगर-निगम की कार्यशैली पर प्रश्न-चिन्ह लगता है। बनारसीदास अहाता मैनरोड, गाँधी नगर की एक-एक इंच जगह बेची जा रही है और उसपर अवैध निर्माण करके मार्केट बनाई जा रही है। दिल्ली-नगर-निगम कोई कार्यवाई करने के लिये तैयार नहीं है। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए अवैध निर्माण रोकने हेतु कठोर कदम उठाने की जरूरत है। यदि सरकार दिल्ली को साफ सूथरा देखना चाहती है तो अधिकारीगण की जिम्मेदारी तय करनी अति आवश्यक हो गया है।

धन्यवाद सहित।

भवदीय

कंवल कुमार बल्ली
अध्यक्ष

<u>प्रतिलिपि :-</u>

1. माननीया, श्रीमती शीला दीक्षित जी, मुख्यमंत्री, दिल्ली-सरकार, नया सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई-दिल्ली-02.
2. माननीय, तेजेन्द्र खन्ना जी, उपराज्यपाल-दिल्ली, राजनिवास, राजनिवास मार्ग, कोर्ट लेन, सिविल-लाईन, दिल्ली-54.
3. श्रीमान् के.एस. मेहरा जी, कमिश्नर, दि.न.नि., सीविक-सेन्टर, मिन्टोरोड, नई-दिल्ली-02.
4. श्रीमान् विजय कुमार देव जी, कमिश्नर, रेवेन्यू एण्ड डेवलपमेन्ट, 5,शामनाथ-मार्ग, दिल्ली-54.
5. श्रीमान् पी. कामराज जी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस हेड क्वाटर, आई.पी. इस्टेट,नई-दिल्ली-02.
6. सुश्री अल्का आर. शर्मा जी, उपायुक्त, शाहदरा साऊथ जोन, उपायुक्त कार्यालय, दिल्ली नगर निगम, कड़कड़डुम्मा, शाहदरा, दिल्ली- 32.